न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री महीपाल सिंह आर ए एस)

प्रकरण संख्या 82/2018 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. श्री प्रेमलाल पुत्र श्री बंशीलाल महाजन निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
2. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बंशीलाल महाजन निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
3. श्री आदित्यकुमार पुत्र श्री बंशीलाल महाजन निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती सरिता पुत्री श्री बंशीलाल महाजन निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती सविता पुत्री श्री बंशीलाल महाजन निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
6. श्री गौरव पुत्र श्री रामकृष्ण सामरिया निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
7. सुश्री सुरभी पुत्री श्री रामकृष्ण सामरिया निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
8. श्रीमती सुनितादेवी पत्नि रामकृष्ण सामरिया निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
9. श्रीमती मीना पत्नि श्री आदित्य कुमार सामरिया निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।

...... प्रार्थी गण

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकृत अधिकरण जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर एन.एच.ए.आई कार्यालय 6ऐ1 आर.सी. व्यास कोलोनी ,भीलवाडा राज0
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाडा

..... विपक्षी गण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री अमित कोठारी वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 21–01–2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्व विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम रायला पटवार क्षेत्र रायला तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 942 , 948 , 950/1 से लगायत 950/8 , 951 , 987 , 988 , 1006 , 1001 स्थित है । व उक्त आराजी मे नेशनल हाईवे 79 निकला हुआ है लेकिन नेशनल हाईवे का अंकन राजस्व नक्शे के अन्तर्गत तत्समय के पटवारी हल्का द्वारा सही इन्द्राज नही कर गलत इन्द्राज कर दिया है । जिसको सही किया जाना आवश्यक है ।

मुताबिक रिपोर्ट भु0अ0नि0 रायला के अनुसार नक्शे मे एन0एच0 79 के पश्चिमी दिशा में अधिक तरमीम कर रखी है जबकि मौके पर एन.एच. 79 के पूर्व दिशा के आ.न. 951/4 , 951/3 , 951/8 , के रकबे मे कमी होगी एंव पश्चिमी दिशा के आ.न. 951 , 951/5 , 950/5 के रकबे मे कोई बदलाव नही होगा । वृस्तत रिपोर्ट भु0अ0नि0 एंव मौका पर्चा के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस में आ.न. 951/4 , 951/3 , 951/8 , 951 , 951/5 , 950/5 मे लाल स्याही से की गई तरमीम के बजाय नीली स्याही से की गई प्रस्तावित की गई नवीन तरमीम एंव रकबे अनुसार संसोधन किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही होना जाहिर करते हुए दिनांक 14.06.2019 को राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा की और से इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जिसमें विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र से सलंग्न प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में इंगित विवरण सही होना वर्णित है । जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी नेशनल हाइवे के जवाब में भी कोई आपत्ति इस बाबत् नही जाहिर की है । उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस व प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थी का प्रा.पत्र सहमति से स्वीकार योग्य है पाया जाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात वाके ग्राम ग्राम रायला के आ.न. 951/4 , 951/3 , 951/8 , 951 , 951/5 , 950/5 मे तहसीलदार बनेडा की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 के साथ सलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही से की गई तरमीम के बजाय नीली स्याही से की गई प्रस्तावित की गई नवीन तरमीम एंव रकबे अनुसार संसोधन किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 82/18 दिनांक 21/1/2021

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिष्चिता करें।

महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा